

○

उत्तर

कानपुर

1.6830 ✓	14172-अनार श्रीमान् उपनिर्वाहकरी सत्वर कामगु
0.5840 ✓	बाद संख्या 143,09-10 ता.के. 24/03/2010 दिनांक
0.1130 ✓	कपूर बजान उ.प्र.सरकार के अनुसार खाली संख्या
0.0510	139 की गांव संख्या 406अ/1.6830, 406ब/0.5840
0.1300	411/0.1130, 408/0.0510, 409/0.1300, 410/0.1300
0.4260 ✓	410/0.4260, 407/0.0540, 410/0.5310
0.0540	कुल 8किता कुल रकबा 3.5720 मौजा
0.5310	सुझार कछार की खेती 1412 से 1417 फजली

सिंहपुर कछर की खतौनी 1412 से 1417 कसली
की खाता संख्या 139 आरानी संख्या 4063/1.683ह0,

406 $\overline{a}$ /0.584 $\overline{r}$ 0, 411/0.113 $\overline{r}$ 0, 408/0.051 $\overline{r}$ 0,
409/0.130 $\overline{r}$ 0, 400 $\overline{r}$ 4/0.426 $\overline{r}$ 0, 407/0.054 $\overline{r}$ 0,

410.0.531ह0 कुल 8किता कुल रकवा:3.572ह0
भूमि के ड.प्र.मैड.ए.प्रल.आर.एक्ट की धारा-143

के अन्तर्गत अष्टाधिक/आवासीय भूमि दीर्घत
लिवा जाने है धारा-143 जेड.ए.एल.आर.क

22/04/19

13-9-10-38281-11-20-11-11-23-34-पुनः

दि० ११-०१-२०१२ के अनुसार निररक्षित

सिंहार की जाती है तथा अन्तर मध्यालय

राम क्रमांक : 37010100347

ग्राम का नाम : सिंहपुर व

रतना कानपुर सदर

तहसील : कानपुर सदर

जनपद : कानपुर

फसली वर्ष : 1412-1417

भाग : 1

खाना	खानेदार का नाम	मिता / पति /	निवास स्थान	भूमिक अधिकार	खाने के प्रत्येक	प्रत्येक	खानेदार	प्रावर्तन सम्बन्धी आगत या	टिप्पणी
खानेनी				पारम्भ होने का	गाटे की खसरा	गाटे का	व्यारा देव	उसका संराधा उनकी संख्या तथा	
क्रम संख्या				फसली वर्ष	संख्या	क्षेत्रफल	मालगुजारी	दिनांक, साहिन और आना देने	
						(हे.)	या लगाना	बाद अधिकारी का पत्र	

1 2 3 4 5 6 7-12 13

कुल गाटे : 8 कुल हे : 3,5720

125.20

38861

रविन्द्र कानूनी
प्रवासी कम्प्यूटर सेल
कानपुर

हस्ताक्षर



क. अ. सं. 24-03-2010 त. 08-06-11 निरस्त किया जाते हैं। भूमि पुन. अधिनियम के अन्तर्गत हटाने के लिए कार्य करने के लिए निर्धारित रूप से भूमि अधिनियम की धारा 333 के अन्तर्गत निरस्त किया जा रहा है। 4193/01-02-12